Member of Parliament Local Area Development Scheme

भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली -110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
SARDAR PATEL BHAVAN, NEW DELHI-110001
FAX : 23364197
E-mail : mplads@nic.in

सत्यमेव जयते

फाइल सं.सी/23/2011-एमपीलैड्स

Dated .....09.12.2011.....

सेवा में,

आयुक्त, नगर निगम कोलकाता/चेन्नई/दिल्ली
सभी जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त

विषय: मौजूदा एमपीलैड्स दिशानिर्देशों में संशोधन—राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के बाहर के स्थानों को अंशदान ।

महोदय/महोदया,

संदर्भ सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के दिनांक 15.6.2011 के समसंख्यक पत्र के अनुसार जारी सुधार परिपत्र सं.3.

2. दिनांक 15.06.2011 के पत्र के पैरा (i) के संदर्भ में, एमपीलैड योजना संबंधी दिशानिर्देशों के पैरा 2.9 में संशोधन किया गया था ताकि सांसदों को वित्त वर्ष में अधिकतम 10 लाख रुपए तक पात्र कार्यों हेतु उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के बाहर के स्थानों के लिए एमपीलैड्स निधि का अंशदान देने के लिए अनुमति दी जा सके । अनेक सांसदों द्वारा चिंता व्यक्त की गई है कि उनको न केवल अपने राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के बाहर निधि देने के लिए अनुमति नहीं दी जानी चाहिए बल्कि राज्य के भीतर निर्वाचन क्षेत्र के बाहर ऐसे अंशदान की सिफारिश करने के लिए भी अनुमति दी जानी चाहिए । तदनुसार, इस मामले की पुन: जांच की गई है तथा यह निर्णय लिया गया है कि इस पैरा को निम्नानुसार संशोधित किया जाए:

"यदि चयनित सांसद उस राज्य/संघ शासित क्षेत्र से बाहर ***अथवा राज्य के भीतर निर्वाचन क्षेत्र से बाहर अथवा दोनों से बाहर*** किसी स्थान पर एमपीलैड्स निधियों के अंशदान की आवश्यकता महसूस करें, तो सांसद इन दिशा-निर्देशों के अंतर्गत वित्तीय वर्ष में अधिकतम 10 लाख रुपए तक पात्र कार्यों की सिफारिश कर सकता है । सांसद द्वारा किया गया इस प्रकार का कार्य जमीनी स्तर पर लोगों के बीच राष्ट्रीय एकता, सामंजस्य एवं भाईचारे की भावना को बढ़ाएगा । ऐसे मामलों में, नोडल जिला प्राधिकारी, दिशानिर्देशों के अंतर्गत उनको सौंपे गए समन्वय एवं अन्य कार्यों के लिए पूर्णतया उत्तरदायी होंगे । संबंधित नोडल जिला प्राधिकारी, जिससे निधियां प्राप्त की गई थीं, को इन कार्यों के लिए कार्य निष्पादन रिपोर्ट, उपयोग प्रमाणपत्र एवं लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र कार्यान्वयन जिला प्राधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा ।"

3. इन दिशानिर्देशों का एमपीलैड योजना के कार्यान्वयन में कड़ाई से पालन किया जाए ।

4. इसे माननीय मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

भवदीय,

(ए.के. चौधरी)
निदेशक

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. सभी माननीय सदस्य (लोक सभा/राज्य सभा)
2. सभी सचिव, एमपीलैड्स से संबंधित नोडल विभाग (सभी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र)
3. एमपीलैड्स संबंधी राज्य सभा समिति, राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली
4. एमपीलैड्स संबंधी लोक सभा समिति, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली
5. एमपीलैड्स प्रभाग के सभी संबंधित अधिकारी
6. एनआईसी को एमपीलैड्स वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए ।